संख्याः /XII-3/2025/83(04)/2023(ई–58988)

प्रेषक,

मायावती ढकरियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः नवम्बर, 2025

विषयः– 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 24 नई ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं की सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 गठन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1579/निर्माण–8/बजट/2025–26, दिनांक 08.10.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 24 नई ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने एवं सर्वेक्षण हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित, संलग्नक के कॉलम 2 में उल्लिखित योजनावार कॉलम 5 में उल्लिखित विवरणवार विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा पायी गई औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 91.77 लाख (**रूपये इकानवें लाख सतहत्तर हजार मात्र**) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखने/नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दि0 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश सं0–1/287566/E–79713/09(150)2019 /XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।

(ii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(iii) निर्गत की जा रही स्वीकृति पर अग्रेत्तर कार्यवाही से पूर्व विभाग द्वारा यह भी भलिभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य हेतु किसी प्रकार का समरेखण विवाद, वन भूमि हस्तान्तरण, भूमि विवाद, अन्य कोई मुवाएजा देयता, इत्यादि नहीं हो। यथा–आवश्यकता पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी हो।

(iv) निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

(v) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

(vi) आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित शाखाओं को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(vii) आहरण वितरण अधिकारीं तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर

प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

(viii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उन कार्यो में ही व्यय किया जाय, जिन योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजनाओं के डी0पी0आर0/सर्वेक्षण हेतु मार्गवार अवमुक्त धनराशि को उनके मूल लागत/विस्तृत आगणन में समायोजित किया जायेगा। सभी कार्यो के औचित्य, आवश्यकता एवं उनके डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित हो लिया जायेगा। यदि कोई तकनीकी/विधिक औपचारिकताये है, तो उन्हें भी विभाग द्वारा स्वयं के स्तर से पूर्ण किया जायेगा।

(ix) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है।आप भी अपने स्तर से अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

(x) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/ XXX–1–12(25)2011, दि0–08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जायेगा।

(xi) शासनादेश संख्या–757/XII–3/2023/01(01)2023, दिनांक 28.12.2023, शासनादेश संख्या–130/XII–3/2024/01(01)/2023, दिनांक 13.02.2024 एवं शासनादेश संख्या–445/XII–3/2021/87(07)/2019, दिनांक 19.07.2021 का अक्षरसः पालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्ण रूप से विवाद रहित मोटर मार्गो की डी0पी0आर0 नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम्य विकास–03–ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज–53–बृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3– यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग)–4, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र सं0– 1/344400/2025, दिनांक 12 नवम्बर, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

Digitally signed by Mayawati Dhakriyal
Date: 17-11-2025 16:22:14

(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

संख्याः (1)/XII-3/2025/83(04)/2023(ई–58988), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

Digitally signed by Rajeev Tiwary
Date: 17-11-2025 17:55:22

आज्ञा से,
(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या– /XII–3/2025/83(04)/2023(ई–58988), दिनांक नवम्बर, 2025 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	सर्वेक्षण एव DPR गठन हेतु अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1	विकासखण्ड–चम्बा के अंतर्गत सुरसिंहधार ज्ञानसू मोटर मार्ग के सुरसिंह धार बैण्ड से काण्डा (पाणीखाल) तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण।	टिहरी	1.50	2.48
2	विकासखण्ड–थौलधार के अंतर्गत ग्राम पंचायत जसपुर के अंतर्गत ग्राम पिराड़ी में ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण एवं 12.00 मीटर स्पान लौह सेतु का निर्माण।	टिहरी	2.00	6.78
3	विकासखण्ड–चम्बा के अंतर्गत गजा फलसारी खाण्ड पैन्दार्स मोटर मार्ग से ग्राम खण्डवालगांव से कल्पेश्वर महादेव होते हुये विकासनगर तोक तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण।	टिहरी	1.50	2.48
4	विकासखण्ड–थौलधार के अंतर्गत कोटी रौल्यालूकी मुख्य मोटर मार्ग के बंजियाणी से कुड़ा नामे तोक तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण।	टिहरी	1.50	2.48
5	विकासखण्ड–जौनपुर के अंतर्गत तोगी ढेरागड्डी ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण।	टिहरी	1.50	2.48
6	व्याखुली पड़ाव से जी0आई0सी0 सोली तक निर्मित सड़क से चमकना डढ़रिया ग्रामीण मोटर मार्ग का अपग्रेडेशन	भिकियासैंण	2.50	1.50
7	विकासखण्ड स्यालदे के ग्राम पंचायत कफलगौर के अन्तर्गत देघाट– चिन्तोली मोटर मार्ग से कफलगैर तक ग्रामीण मार्ग का अपग्रेडेशन कार्य।	भिकियासैंण	2.00	1.20
8	विधानसभा द्वाराहाट के अंतर्गत दूनागिरी कुकुछिना मोटर मार्ग कि0मी0 17.5 से जूनियर हाई स्कूल खोलियबाज से चरी तक 02 कि0मी0 ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण (अपग्रेडेशन)	भिकियासैंण	2.00	1.20
9	पथरखोला महरगांव मोटर मार्ग से पटलगांव तक सड़क निर्माण कार्य।	भिकियासैंण	3.00	4.95
10	गोदी तड़गताल मोटर मार्ग कि0मी0–04 में टेडगांव से कोटयूडा तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण।	भिकियासैंण	1.50	2.48
11	बटुलिया सिमलगांव से ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण।	भिकियासैंण	1.50	2.48
12	रिंची–रानीखेत मोटर मार्ग से मल्ला डाभर तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	भिकियासैंण	2.30	3.80
13	जयन्तेश्वर रतखेत झीपा जाभर ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण।	भिकियासैंण	3.00	4.95
14	सुंदरखाल तकुल्टी मोटर मार्ग से जैतोली तक सड़क निर्माण।	भिकियासैंण	3.00	4.95
15	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताकुला के सोमेश्वर–गिरीछीना मोटर मार्ग से ग्रामः ककराई तक मोटर मार्ग निर्माण।	अल्मोड़ा	2.50	4.13
16	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड धौलादेवी के डुगरा जिगोली तोली मोटर मार्ग से ग्राम कनारी मोटर मार्ग निर्माण।	अल्मोड़ा	3.00	4.95
17	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अल्मोड़ा –पिथौरागढ़ मोटर मार्ग से ग्राम पुनाकोट तोक पातालद्यौ मोटर मार्ग पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण। अपग्रेडेशन।	अल्मोड़ा	4.00	2.40
18	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालाबाग के हवालाबाग–सुतियाताल से गढ़वाली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	अल्मोड़ा	1.00	0.60
19	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालाबाग के कोसी धामस रोड में टानीसेविमौला (तुंगेश्वर) देवली तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	अल्मोड़ा	4.00	17.00

20	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालाबाग के हवालाबाग– दौलाघट मोटर मार्ग से ग्राम : कोटुली हवालबाग मोटर मार्ग निर्माण।	अल्मोड़ा	4.00	6.60
21	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत श्रीकोटखाल गोर्ली मुख्य मार्ग से बेतालेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	पौड़ी	1.00	0.60
22	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी के अन्तर्गत पौड़ी–मासौ मोटर मार्ग से ग्राम रेवड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	पौड़ी	2.30	1.38
23	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत संगलाकोटि–भेड़गांव मोटर मार्ग से राजस्व ग्राम कोयलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	पौड़ी	2.00	3.30
24	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत दांथा मोटर मार्ग के स्थान दीवाधार से मालकोट–दण्डखण्ड–धरगांव–लोदगांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	पौड़ी	4.00	6.60
	योग		**56.60**	**91.77**

(रूपये इकानवें लाख सतहत्तर हजार मात्र)

ह0–

(राजीव तिवारी)

अनु सचिव।